<u>सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया चेक संग्रहण नीति-2024-2025</u>

परिचय

बैंक की चेक संग्रहण नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानक स्थापित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधरित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक की चेक संग्रहण नीति पारदर्शिता सहित एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें हमारी तकनीकी क्षमताओं, समाशोधन व्यवस्थाओं के लिए अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं और विभिन्न तरीकों के माध्यम से संग्रह के लिए आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है।

बैंक की चेक संग्रहण नीति पहली बार 2005 में तैयार की गई थी एवं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा समय – समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक रूप से समय –समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति को **बैंक की चेक संग्रहण नीति** के रूप में पढ़ा जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उल्लिखित व्यापक सिद्धांतों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए नीति में पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि छोटे जमाकर्ताओं के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। इस संबंध में बनाई गई नीति को आईबीए की मॉडल जमा नीति के अनुरूप बैंक द्वारा तैयार की गई जमा नीति के साथ एकीकृत किया गया है। नीति में स्पष्ट रूप से बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन न करने के कारण होने वाली देरी के कारण ब्याज भुगतान के रूप में बैंक की देयता निर्धारित की गई है तथा ग्राहक की ओर से किसी भी दावे के बिना, जहां आवश्यक हो, ब्याज भुगतान के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी निर्धारित की गई है।

<u>नीति का दायरा</u>

यह नीति दस्तावेज़ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करता है:

- स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों का संग्रहण
- स्थानीय/बाहरी लिखतों के संग्रहण के लिए समय सीमा
- विलंबित संग्रह के लिए ब्याज भुगतान
- ट्रांजिट (मार्गस्थ) में/ समाशोधन प्रक्रिया में/ भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में चेक/लिखत खो जाने पर
- अनादरित चेकों के लिए प्रक्रिया।

1. <u>स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों का संग्रह</u>

बैंक की शाखाएं/विस्तार काउंटर कार्य समय के दौरान संग्रहण/समाशोधन के लिए चेक प्राप्त करेंगे।

1.1 <u>स्थानीय चेक</u>

1.1.1. स्थानीय रूप से देय सभी चेक एवं अन्य परक्राम्य लिखत प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

1.1.2. शाखा परिसर में शाखा काउंटरों और संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक,निर्दिष्ट कट-ऑफ़ समय से पहले उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगें।

1.1.3. चेक प्राप्त करने की विस्तृत समय-सीमा (जैसे शाखा खोलने के बाद 3 घंटे तक, कारोबार बंद होने से 1 घंटा पहले तक), जिसे स्थानीय प्रथाओं के आधार पर अलग-अलग स्थानों/शाखाओं के साथ सही ताल-मेल के अनुरूप, संबंधित शाखाओं के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तय की जाएगी।

1.1.4. सभी संग्रह बक्सों में स्पष्ट रूप से उस समय को इंगित किया जाएगा जब संग्रह बक्सों में जमा चेकों को उसी दिन समाशोधन के लिए भेजा जाएगा।

1.1.5. कट-ऑफ समय के बाद और शाखा परिसर के बाहर संग्रह बक्से में जमा किए गए चेक ऑफ-साइट एटीएम सहित, अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

1.1.6. उन केंद्रों पर स्थित बैंक शाखाएं जहां कोई समाशोधन गृह नहीं है, वें स्थानीय चेक अदाकर्ता बैंको के काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे, एवं प्राप्तियों को जल्द से जल्द जमा किया जाएगा।

1.1.7. गैर-रविवार साप्ताहिक अवकाश वाली शाखाओं और 7-दिवसीय बैंकिंग शाखाओं के मामले में स्थानीय चेकों के संग्रहण/समाशोधन की समय-सीमा एक अतिरिक्त दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

1.1.8. बैंक शाखाओं के पास अपने संग्रह काउंटरों पर चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा और पावती सुविधा दोनों उपलब्ध होंगी। बैंक शाखा के काउंटर पर वसूली के लिए चेक प्रस्तुत करते समय यदि ग्राहक मांगता है तो शाखाएं उसे पावती देने से मना नहीं करेंगी।

1.1.9. जिस दिन समाशोधन निपटान होगा उसी दिन बैंक ग्राहक के खाते में राशि जमा कर देगा। केंद्र में समाशोधन गृह के चेक वापसी कार्यक्रम के अनुसार जमा की गई राशि की निकासी की अनुमति दी जाएगी।

1.2 <u>बाहरी चेक</u>:

1.2.1. शाखाएँ संग्रहण के लिए अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेंगी।

1.2.2. भारत में देय बाहरी चेक - भारत में बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक सामान्य रूप से उन केंद्रों पर हमारी अपनी शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। जहां बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है, लिखत सीधे अदाकर्ता बैंक को संग्रह के लिए भेजा जाएगा या एक प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं/स्पीड समाशोधन प्रणाली/MICR-समाशोधन प्रणाली का भी उपयोग करेगा जहाँ ऐसी सेवाएँ मौजूद हैं।

1.2.3. बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक प्रचलित अंतर-शाखा व्यवस्था का उपयोग करके एकत्र किए जाएंगे। वे शाखाएँ जो एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण व्यवस्था के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और अपने ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर रही हैं, सीबीएस नेटवर्क में अपनी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी लिखतों के संबंध में अपने ग्राहकों को उसी दिन क्रेडिट प्रदान करेंगी, बशर्ते चेक / लिखत दोनों शाखाओं के सामान्य व्यवसाय समय के भीतर प्रस्तुत किए गए हों।

1.3 विदेशों में देय चेक

1.3.1. विदेशी केंद्रों पर देय चेक जहां बैंक के शाखा संचालन (या सहायक कंपनी आदि के माध्यम से बैंकिंग परिचालित) हैं, उस कार्यालय के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

1.3.2. प्रतिनिधि बैंकों की सेवाओं का उपयोग उस देश/केंद्रों में किया जाएगा जहां प्रतिनिधि की उपस्थिति है।

1.3.3. उन केंद्रों पर विदेशी बैंकों पर आहरित चेक जहां बैंक या उसके प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, सीधे अदाकर्ता बैंक को भेजा जाएगा, जिसमें संबंधित बैंकों में से एक के साथ बनाए गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में आय जमा करने का निर्देश होगा।

1.3.4. 'कैश लेटर सिस्टम' के तहत भेजे गए चेक के लिए संपर्की/प्रतिनिधि बैंक एक पूर्व निर्धारित तिथि (संपर्की/ प्रतिनिधि बैंक को चेक देने के बाद 9-10 दिनों के भीतर) पर बैंक को अनंतिम क्रेडिट देगा। हालांकि, यह फिर से विराम अवधि (यानी संबंधित देशों के कानूनों के प्रावधानों के तहत चेक की संभावित वापसी के लिए प्रतीक्षा अवधि) के अधीन होगा। कूलिंग अवधि को एक प्रथा और सामान्य अभ्यास के रूप में बैंक के नोस्ट्रो खाते में अनंतिम क्रेडिट की तारीख से 21 दिन बाद अपनाया जाता है।

1.3.5. कैश लेटर सिस्टम के अलावा संग्रह के लिए भेजे गए चेकों की आगम/प्राप्त राशि, ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार, उनकी वसूली के तुरंत बाद या तो रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी या उनके विदेशी मुद्रा खाते में रखी जाएगी।

1.3.6. इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन (ICC-522) में विवरण के रूप में विभिन्न लेख चेक के संग्रह के लिए लागू होंगे। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –

- बैंक को सेवाएं देने का निर्देश देने वाला ग्राहक विदेशी कानूनों और प्रथा/प्रचलन द्वारा लगाए गए सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य और उत्तरदायी होगा।

- विदेशी केंद्रों पर आहरित चेक जमा करने वाले ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अदाकर्ता देशों में प्रचलित चेक संग्रह से संबंधित उपयोग/प्रथाओं और कानूनों से अवगत हों।

- संग्रह द्वारा संग्रह के लिए भेजे गए चेक किसी भी विदेशी देश में स्थित बैंकों द्वारा धोखाधड़ी/वित्तीय कारणों से (समाशोधन/संग्रह में उनकी प्रस्तुति के बाद) वापस किए जा सकते हैं। विदेशों में बैंकों द्वारा धोखाधड़ी वाले चेकों को उनकी प्रस्तुति के बाद किसी भी समय वापस किया जा सकता है।

- लौटाए गए चेक के मामले में, वसूलीकर्ता बैंक को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। चूंकि विदेशी बैंक वसूलीकर्ता बैंक के खाते में पहले जमा किए गए लौटाए गए चेकों की राशि उसके नोस्ट्रो खाते में नामे डालकर वसूल कर लेता है, वसूली करने वाला बैंक धोखाधड़ी/वित्तीय कारणों से लौटाए गए चेकों के लिए जमाकर्ता को कोई मुआवजा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा।

- इसके अलावा, बैंक को जमाकर्ता के खाते में जमा किए गए चेक की आय की वसूली करने का अधिकार है (वसूलीकर्ता बैंक के नोस्ट्रो खाते में विदेशी बैंक द्वारा डेबिट की गई विदेशी मुद्रा राशि के समतुल्य प्रचलित विनिमय दर पर) ब्याज के साथ आगम के क्रेडिट की तारीख़ से उस तारीख तक जिस पर राशि वसूल की जाती है।

1.4 संग्रहण के लिए बिल

वसूली केंद्र पर किसी अन्य बैंक के माध्यम से एकत्र किए जाने के लिए आवश्यक भुनाए गए बिलों सहित संग्रह के बिलों का अग्रेषण कार्यालय द्वारा सीधे वसूली कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।

1.5 बिलों की वसूली/संग्रहण में देरी के लिए ब्याज का भुगतान

जमाकर्ता का बैंक बिलों के संग्रहण/वसूली की अवधि में विलंबित अवधि के लिए जमाकर्ता को बचत बैंक खातों के शेष पर देय ब्याज दर से 2% प्रतिवर्ष की दर से अधिक ब्याज अदा की जाएगी।
विलंबित अवधि की गणना सामान्य संक्रमण अवधि के लिए भत्ता देने के बाद की जाएगी, जो कि

1) बिलों के प्रेषण
2) अदाकर्ताओं के बिलों की प्रस्तुति,
3) आय का जमाकर्ता बैंक में प्रेषण
4) आय को आहरणकर्ता के खाते में जमा करने के लिए 2 दिन की समय सीमा पर आधारित होगी । जहां तक देरी आहर्ता के बैंक के कारण है, आहर्ता का बैंक उस बैंक से ऐसी देरी के लिए ब्याज की वसूली कर सकता है।

1.6 खाता आदाता चेक का संग्रहण- तीसरे पक्ष के खाते में आगम/प्राप्त राशि जमा करने पर प्रतिबंध

1.6.1. कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप और विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों से, बैंक आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खाता आदाता चेक एकत्र नहीं करेगा और बैंक उसमें नामित प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में "आदाता खाता" चेक जमा नहीं करेगा।

1.6.2. भुगतान प्रणाली के दृष्टिकोण से चेक के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए, उप-सदस्य के पास उनके ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए जमा किए गए खाता आदाता चेक को क्लियरिंग हाउस के सदस्य बैंक के रूप में हमारे द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत, इस आशय का स्पष्ट वचन होना चाहिए कि खाता आदाता चेक की आय वसूली के बाद केवल आदाता के खाते में जमा की जाएगी।

1.6.3 सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा खाता आदाता चेकों के संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, हमारे बैंक की शाखाएँ एक संग्रहणकर्ता बैंक के रूप में अपने ग्राहकों के खाते में 50000/- रुपये से अधिक की राशि के लिए आहरित खाता आदाता चेकों का संग्रहण करने पर विचार करेंगी, जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं, यदि ऐसे चेकों के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के घटक हैं। उपर्युक्त अनुसार चेकों का संग्रहण करते समय, हमारी शाखाओं को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट अभ्यावेदन देना होगा कि वसूली के पश्चात, चेक की आय केवल सहकारी ऋण समिति के उस सदस्य के खाते में जमा की जाएगी, जो चेक में नामित आदाता है। हालाँकि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित प्रावधानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगा।

1.7 <u>स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों का तत्काल क्रेडिट:</u>

1.7.1 बैंक के शाखा/विस्तार काउंटर व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा संग्रहण के लिए प्रस्तुत कुल 15,000/- रुपये तक के बाहरी चेक लिखत के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करेंगे, बशर्ते कि ऐसे खातों का 6 महीने से कम अवधि तक संतोषजनक संचालन हो। ग्राहक के विशेष अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे इंस्ट्रूमेंट के संग्रहण के विरुद्ध तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। तत्काल क्रेडिट की सुविधा उन केंद्रों पर स्थानीय चेक के संबंध में भी उपलब्ध कराई जाएगी, जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद नहीं है।

1.7.2 तत्काल क्रेडिट की सुविधा अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित लिखतो के मामले में भी उपलब्ध होगी, बशर्ते कि ऐसे लिखतों का रुपया समतुल्य 15000/- रुपये से अधिक न हो, जो घरेलू चेकों पर लागू समान मानदंडों के अधीन हो। हालांकि, भुगतान न होने के कारण ऐसे लिखतों के वापस होने की स्थिति में, संबंधित ग्राहक को विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि को वहन करना होगा और अग्रिम बकाया होने की अवधि के लिए निर्धारित दर पर अतिदेय ब्याज का भुगतान करना होगा।

1.7.3. ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/कैश क्रेडिट खातों पर तत्काल क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा की प्रदान करने के लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि का अलग से कोई शर्त नहीं होगी।

1.7.4. बैंक अपनी शाखाओं पर बैंक द्वारा आहरित ब्याज/लाभांश वारंट और अन्य पूर्व भूगतान लिखतों जैसे डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसे सममूल्यों पर देय सभी लिखतों के लिए तत्काल ऋण प्रदान करेगा।

1.7.5. चेक के अनादर की स्थिति में, जिसके विरूद्ध तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, ग्राहक से उस अवधि के लिए जिस अवधि में बैंक के पास निधि में कमी रहीं व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमाओं पर लागू दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।

1.7.6. इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक संतोषजनक रूप से संचालित खाता वह होगा

- जो कम से कम छह महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो।
- जिसका संचालन संतोषजनक रहा है और बैंक ने कोई अनियमित लेन-देन नहीं देखा गया हो।
- जहां कोई भी चेक/लिखत जिसके लिए तत्काल क्रेडिट किया गया था, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस नहीं आया हो ।
- जहां बैंक को तत्काल क्रेडिट देने के बाद लौटाए गए चेक सहित पूर्व में दी गई किसी भी राशि की वसूली में कोई कठिनाई नहीं हुई हो।

1.7.7. बैंक संग्रह के लिए प्रस्तुत बाहरी लिखतों के विरूद्ध तत्काल क्रेडिट प्रदान करते समय सामान्य संग्रह शुल्क और जेब से बाहर के खर्च वसूल करेगा। हालांकि, खरीदे गए चेक के लिए लागू विनिमय शुल्क नहीं लिया जाएगा।

1.7.8. वर्तमान नीति के तहत नाबालिग का खाता चाहे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से या प्राकृतिक अभिभावक, गैर-निवासियों, स्वयं के चेक, पृष्ठांकित चेक और एक्सचेंज कंपनी के चेक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हो, स्थानीय/बाहरी चेकों को तुरंत क्रेडिट करने के लिए पात्र नहीं हैं।

1.8 <u>स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद:</u>

बैंक अपने विवेक से ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रह के लिए प्रस्तुत किए गए स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद करेगा। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा, चेक खरीदते समय चेक के दराज की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा।

1.9 <u>चेक/उपकरणों के संग्रहण पर सेवा शुल्क</u>

सभी संग्रहण सेवाओं के लिए, समय-समय पर निर्धारित सेवा शुल्क और वास्तविक डाक शुल्क (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) या कूरियर शुल्क/जेब से बाहर किए गए खर्च बैंक द्वारा वसूल किए जाएंगे।

1.10 <u>सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस)</u>

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरबीआई/2020-21/41 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं. 309/04.07.005/2020-21दिनांक 25 सितंबर 2020, हमारे बैंक में 01 जनवरी 2021 से सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू की गई है।

सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तारीख, लाभार्थी/भुगतानकर्ता का नाम, राशि आदि) आहर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है, जिसके विवरण को सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। किसी भी विसंगति को सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जो निवारण उपाय करेंगे।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सीटीएस में सकारात्मक भुगतान(पीपीएस) की सुविधा विकसित की है और इसे भागीदार बैंकों को उपलब्ध कराया है। बदले में, बैंक 50,000.00 रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इसे सक्षम करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन बैंक 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

सीटीएस एसएसबी में विवाद समाधान के तहत केवल वे चेक स्वीकार किए जाएंगे जो उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध हैं।

शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे शाखाओं, एटीएम आदि में प्रदर्शन के माध्यम से अपने ग्राहकों के बीच सकारात्मक भुगतान प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करें।

हमारे बैंक ने 50000.00 रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए पीपीएस सक्षम किया है और 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।

2. <u>स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों के संग्रहण की समय-सीमा</u>

2.1 मेट्रो/शहरी/अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए ग्राहकों द्वारा शाम 4.00 बजे तक तथा ग्रामीण शाखाओं के लिए दोपहर 3.30 बजे तक जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन गृह में भेजे जाएंगे। हालांकि, शाखाओं को

व्यक्तिगत ग्राहकों के अधिक हित में उसी दिन समाशोधन के लिए चेक जमा करने की समय सीमा को कम करके समय सीमा को सुविधानुसार करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2.2

(क) आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) समाशोधन को तीन क्षेत्रीय ग्रिड की संरचना से एकल राष्ट्रीय ग्रिड में स्थानांतरित कर दिया है। चूंकि आरबीआई का चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय ग्रिड समाशोधन गृह के लिए नोडल आरओ है, इसलिए बेहतर समन्वय और संपर्क के लिए, हमारे चेन्नई एसएसबी को राष्ट्रीय ग्रिड के गठन के बाद समाशोधन गतिविधियों के लिए हमारे बैंक के नोडल कार्यालय के रूप में नामित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रिड में किसी भी शाखा में प्रस्तुत हमारे बैंक की शाखाओं के बाहरी चेकों को स्थानीय चेक माना जाएगा।

2.3 ग्राहकों की जानकारी के लिए चेक जमा करने के लिए एवं उसी दिन समाशोधन गृह को भेजने का समय मानदंड शाखा परिसर के साथ-साथ चेक ड्रॉप बॉक्स पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

2.4 देश में वसूली (संग्रह) के लिए भेजे गए चेकों और अन्य लिखतों की वसूली (संग्रह) के लिए समय सीमा निम्नानुसार होगी:

- राष्ट्रीय ग्रिड में स्थित बैंक पर आहरित चेक और सममूल्य चेक पर देय चेक के लिए समय मानदंड टी +1 होगा। राष्ट्रीय ग्रिड के भीतर बैंक पर आहरित चेक के मामले में - कोई संग्रह शुल्क देय नहीं होगा।

- चार प्रमुख मेट्रो केंद्रों (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में से किसी पर भी प्रस्तुत किए गए चेक और अन्य तीन केंद्रों में से किसी पर देय के लिए : अधिकतम 7 दिनों की अवधि।

- मेट्रो केंद्र एवं राज्य की राजधानियां (उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के अलावा) के लिए : अधिकतम 10 दिनों की अवधि।

- अन्य सभी केन्द्रों में : अधिकतम अवधि 14 दिन

- विदेशी देशों पर आहरित चेक: विदेशी केंद्रों पर देय चेकों के लिए, संपर्की बैंकों की सेवाओं का उपयोग उस देश/केंद्रों में किया जाएगा जहां संपर्की बैंक मौजूद है। उन केंद्रों पर विदेशी बैंकों पर आहरित चेक, जहां संपर्की बैंक की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, सीधे अदाकर्ता बैंक को भेजे जाएंगे, साथ ही सम्पर्की बैंकों के साथ बनाए गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में आय जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे। संबंधित देशों के लिए लागू कूलिंग अवधियों(विराम अवधि) को ध्यान में रखते हुए बैंक संबंधित बैंक के साथ बैंक नोस्ट्रो खाते में आगम /प्राप्त राशि के क्रेडिट पर पार्टी को क्रेडिट देगा।

- ऊपर निर्धारित संग्रह अवधि की गणना के उद्देश्य से छुट्टियों को बाहर रखा जाना है। उपर्युक्त समय मानदंड इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होते हैं कि चेक/लिखत बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित किए गए हैं या नहीं।

3. <u>विलंबित वसूली के लिए ब्याज भुगतान:</u>

3.1 <u>भारत के भीतर वसूली के लिए भेजे गए बाहरी चेकों की वसूली में देरी के लिए ब्याज का भुगतान</u>

3.1.1. यदि उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के बाद संग्रह में कोई विलंब होता है, तो नीचे निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

- बाहरी चेकों की वसूली में क्रमशः 7/10/14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर।

- जहां देरी 14 दिनों से अधिक है, वहां संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण विलंब अर्थात 90 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

- वसूली के तहत चेक की आय ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा होने की स्थिति में, ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण देरी के लिए यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

3.1.2 इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से बिना किसी मांग के किया जाएगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इसके अलावा, ऊपर दिए गए अनुसार ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रह के लिए भेजे गए लिखतों के लिए लागू होगा।

3.1.3 जहां किसी लिखत की आय एकत्र करने में देरी समाशोधन बैंक की ओर से अनुचित देरी के कारण होती है, हमारे बैंक की भेजने वाली शाखा उचित उपाय करने के लिए लिखत के लॉजर को विधिवत सूचित करेगी जैसा कि वह उचित समझे। ऐसे मामलों में, समाशोधन बैंक की ओर से देरी के लिए, हमारा बैंक संग्रह के लिए अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अर्थात् 7/10/14 दिन जैसा लागू हो।

3.1.4 यदि हमारे बैंक की भेजने वाली शाखा को बाहरी सीमा 7/10/14 दिनों की समाप्ति से पहले समाशोधन बैंक से समाशोधन सूचना प्राप्त होती है, जैसा लागू हो, उसी दिन या अगली तारीख को ग्राहक को क्रेडिट दिया जाएगा।

3.1.5 ऊपर निर्धारित संग्रह अवधि की गणना के उद्देश्य से छुट्टियों को बाहर रखा जाना है।

3.2 <u>विदेशी देशों को संग्रह के लिए भेजे गए चेकों की वसूली में देरी के लिए ब्याज का भुगतान</u>

3.2.1 बैंक चेक की राशि पर अपने नोस्ट्रो खाते में जमा देखे जाने की तारीख से ग्राहक के खाते में क्रेडिट होने तक ब्याज का भुगतान करेंगे. ब्याज का भुगतान बचत बैंक दर पर किया जाएगा जिसकी गणना ग्राहक के खाते में जमा की गयी आय की राशि पर की जाएगी

3.2.2 शनिवार को कार्य दिवस के रूप में माना जा सकता है, सिवाय उन लेनदेनों के जिनमें पुष्ट विनिमय दर पर परिवर्तन शामिल है।

4. <u>मार्गस्थ /समाशोधन प्रक्रिया /भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में चेक/लिखत खो जाने पर</u>

4.1 संग्रह के लिए स्वीकार किए गए चेक या लिखत मार्गस्थ प्रक्रिया में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक शाखा में खो जाने की स्थिति में, नुकसान के बारे में पता चलने पर बैंक तुरंत खाताधारक के ध्यान में लाएगा। ताकि खाताधारक आहर्ता को भुगतान रोकने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए सूचित कर सके और यह भी ध्यान रख सके कि उसके द्वारा जारी किए गए चेक, यदि कोई हो, खोए हुए चेक/लिखतों की राशि जमा न होने के कारण अस्वीकृत न हो जाए।

4.2 यदि आवश्यक हो तो बैंक चेक के आहर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए ग्राहक को सभी सहायता प्रदान करेगा। अंतरराष्ट्रीय चेक के खो जाने की स्थिति में, बैंक संपर्ककर्ता/ अदाकर्ता बैंक को सावधानी बरतने के लिए खोए हुए चेकों/लिखतों के सभी विवरणों की भी जानकारी देगा। जहां कहीं प्रथा प्रचलित है, वहां बैंक लिखत की फोटोकॉपी/स्कैन की गई छवि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय लिखत का भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

4.3 जहां ग्राहक द्वारा चेक/लिखत को ड्रॉप बॉक्स में जमा करने का दावा किया जाता है, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड बैंक के पास ऐसे चेक की प्राप्ति नहीं दिखाते हैं, एवं जैसा यहाँ विवरण दिया है दिनांक, राशि, अदाकर्ता बैंक/शाखा/अदाकर्ता केंद्र आदि जैसे चेक विवरण आदि न होने पर बैंक खोए हुए चेक के लिए मुआवजे की राशि पर निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे मामलों में, ग्राहक को अदाकर्ता व्यक्ति/बैंकों से पुष्टि/पूछताछ सहित अन्य बातों के साथ-साथ पूरे तथ्यों के साथ खोए हुए चेक के दावे की पुष्टि करनी होगी। दावे की सत्यता के बारे में और इस आधार पर, यदि यह साबित हो जाता है कि ग्राहक ने वास्तव में ड्रॉप-बॉक्स में चेक प्रस्तुत किया है, तो बैंक मुआवजे के भुगतान पर विचार करेगा जैसा कि यहां नीचे उल्लेख किया गया है:

4.4 बैंक खाताधारक को मार्गस्थ में खो गए लिखतों के संबंध में निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा।

- यदि संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) से परे ग्राहक को लिखत के नुकसान के बारे में सूचना दी जाती है, तो निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक की अवधि के लिए ऊपर निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

- इसके अलावा बैंक डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में संभावित देरी के लिए बचत बैंक दर पर 15 दिनों की एक और अवधि के लिए चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा।

- बैंक ग्राहक को किसी भी उचित शुल्क (घरेलू लिखतों के लिए अधिकतम रु. 100/- और अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के लिए रु. 250/-) जैसे – उचित शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर उसे डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने का खर्चा उठाना पड़ता है, यदि लिखत बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाता है जो डुप्लीकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेता है, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

- जब कोई चेक, जिसे भुनाया गया है, गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने की सारी लागत बैंक वहन करेगा। लेकिन ग्राहक डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने में सहायता करेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उसकी देनदारी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि बैंक चेक की आय प्राप्त नहीं कर लेता।

5. अस्वीकृत चेकों के लिए प्रक्रिया

5.1 लौटाना – अस्वीकृत चेक

5.1.1 बैंक की शाखाओं को अस्वीकृत लिखतों को ग्राहक के शाखा के पास दर्ज अंतिम पते पर कूरियर /पोस्ट के माध्यम से वापस/प्रेषण बिना देरी के 24 घंटो के अंदर किया जाना चाहिए। "बैंक के सेवा शुल्कों की अनुसूची" में विनिर्दिष्ट चेक प्रेषण शुल्कों के अनुसार चेक भेजते समय लागू प्रभार लगाया जाएगा।

5.1.2 अदाकर्ता बैंक, बैंकरों के समाशोधन गृहों के लिए एकसमान विनियम और नियमों के अनुसार संबंधित समाशोधन गृह द्वारा निर्धारित वापसी अनुशासन के अनुसार सख्ती से समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत अस्वीकृत चेक लौटाएगा। ऐसे अस्वीकृत चेक प्राप्त होने पर संग्राहक बैंक इसे तुरंत प्राप्तकर्ता/धारकों को भेज देगा।

5.1.3 उस बैंक के साथ दो खातों के बीच हस्तांतरण के माध्यम से लेनदेन के निपटान के लिए भुगतान करने वाले बैंक को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के सम्बन्ध में, यह ऐसे अस्वीकृत चेकों को भुगतानकर्ताओं/धारकों को तुरंत वापस कर देगा।

5.1.4 वापसी सूचना तैयार की जाएगी जिसमें चेक वापस करने का कारण बताया जाएगा। चेक के साथ सलाह बिना किसी देरी के ग्राहक को पंजीकृत डाक/स्थानीय डिलीवरी द्वारा भेजी जाएगी।

5.1.5 सभी खातों के संबंध में धन की कमी के कारण अस्वीकृत चेक को एक ज्ञापन के साथ लौटाया जाना चाहिए, जिसमें अस्वीकृत होने का कारण "अपर्याप्त धन" के रूप में दर्शाया गया हो

5.2 अनादरित चेक की जानकारी

5.2.1 ₹1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के प्रत्येक अनादरित चेक के संबंध में डेटा को बैंकों के एमआईएस का हिस्सा बनाया जाएगा और संबंधित शाखाएं मासिक आधार पर अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे डेटा की रिपोर्ट करेंगी और बदले में क्षेत्रीय कार्यालय समेकित करेंगे एवं इसे केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

5.2.2 स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अस्वीकृत चेकों के संबंध में डेटा को शाखाओं द्वारा ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित अपने एमआईएस के हिस्से के रूप में ऐसे चेकों के मूल्य पर ध्यान दिए बिना शाखाओं द्वारा अलग से समेकित किया जाएगा और मासिक आधार पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय हर महीने इस जानकारी को समेकित करके केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

5.3 ₹1 करोड़ और उससे अधिक के चेकों के बार-बार अनादरित से निपटना

5.3.1 ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन को लागू करने की दृष्टि से, बैंक ने चेक सुविधा के साथ खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करने का निर्णय लिया है कि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के भुगतान की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दौरान खाते में पर्याप्त धन की कमी के चार अवसरों पर, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। बैंक अपने विवेक से चालू खाते को बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, अग्रिम खातों जैसे नकद क्रेडिट खाता ओवरड्राफ्ट खाते के संबंध में, इन क्रेडिट सुविधाओं को जारी रखने या अन्यथा की आवश्यकता और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से उच्च उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

5.3.2 मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में उपर्युक्त उल्लेखित शर्त को लागू करने के उद्देश्य से, बैंक नई चेक बुक जारी करते समय, नई शर्त के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हुए एक पत्र जारी कर सकते हैं।

5.3.3 यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते पर तीसरी बार कोई चेक अस्वीकृत होती है, तो बैंक संबंधित घटक को पूर्वोक्त स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में चौथी बार अनादरित चेक की स्थिति में चेक सुविधा के परिणामी रोक के लिए एक चेतावनी सूचना जारी करेगा। यदि बैंक खाता बंद करने को अभिप्रेत है तो इसी तरह की चेतावनी जारी की जाएगी।

5.4 ₹ 1 करोड़ से कम मूल्य के चेक के बार-बार अनादरित से निपटना

5.4.1 ऊपर उल्लिखित तर्ज पर, ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन को लागू करने की दृष्टि से, बैंक ने चेक सुविधा वाले खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करने का निर्णय लिया है कि एक करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक के अनादरित की स्थिति में खाते में पर्याप्त धन की कमी के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर पांच अवसरों पर आहरित, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। बैंक अपने विवेक से चालू खाते को बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, अग्रिम खातों जैसे कि कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट के संबंध में, इन क्रेडिट सुविधाओं को जारी रखने या अन्यथा की आवश्यकता और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से उच्च उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

5.4.2 मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर उल्लिखित शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से, बैंक नई चेक बुक जारी करते समय, नई शर्तों के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हुए एक पत्र जारी कर सकता है।

5.4.3 यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते पर चौथी बार चेक अस्वीकृत हो जाता है, तो बैंक संबंधित घटक को पूर्वोक्त स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चेतावनी सूचना जारी करेगा और चेक होने की स्थिति में परिणामी चेक सुविधा बंद कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही खाते पर पांचवीं बार अनादरित होने पर, यदि बैंक खाता बंद करने को अभिप्रेत है तो इसी तरह की चेतावनी जारी की जाएगी।

5.5 अनादरित चेक के मामले में कार्यवाही

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनादरित चेक से संबंधित किसी कार्यावाही में शिकायतकर्ता (अर्थात् अनादरित चेक का आदाता/धारक) की ओर से चेक अनादरित होने के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, बैंक पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तथा चेक अनादरित होने के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

बैंक प्रत्येक तिमाही में उपर्युक्त संदर्भित मामलों के संबंध में समेकित डेटा लेखा परीक्षा/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5.6 ईसीएस के बार-बार अनादरण से निपटना

5.6.1 पर्याप्त धनराशि रखें बिना ईसीएस अधिदेश जारी करने की प्रथा ऐसे अधिदेशों की विश्वसनीयता को कम करती है और यह एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, बैंक अपने ग्राहकों से अनुरोध करता है कि वे ईसीएस डेबिट अधिदेश की अनुमति देने से पहले पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें। यदि यह पाया जाता है कि किसी ग्राहक के मामले में ईसीएस अधिदेश जारी करने की प्रथा जारी है, तो ऐसे मामलों को यहां नीचे उल्लेखित तरीके से निपटाया जाएगा।

5.6.2 ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से, बैंक ने खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करने का निर्णय लिया है। ईसीएस निर्देशों के अनादरण की स्थिति में, जहां ग्राहक ईसीएस सुविधा का उपयोग कर रहा है, वित्तीय वर्ष के दौरान तीन अवसरों पर आहर्ता के विशेष खाते पर आहरित खाते में पर्याप्त धनराशि की कमी के कारण, प्रस्तुतकर्ता बैंक सूची से ईसीएस निर्देश को हटा देगा। बैंक अपने विवेकानुसार खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, नक़दी ऋण खाता/ओवरड्राफ्ट खाते जैसे अग्रिम खातों के संबंध में इन क्रेडिट सुविधाओं को जारी रखने या अन्यथा इन खातों से संबंधित चेक सुविधा एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से उच्च उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

5.6.3 मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर उल्लिखित शर्त की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए, बैंक ईसीएस अधिदेश को स्वीकार करते समय, नई शर्त के घटकों के बारे जानकारी देने वाला एक पत्र जारी कर सकता है।

5.6.4 यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते पर दूसरी बार ईसीएस निर्देश लौटाया जाता है, तो बैंक संबंधित घटक को पूर्वोक्त स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में तीसरी बार ईसीएस निर्देश होने की स्थिति में खाते को बंद करने के लिए एक चेतावनी सलाह जारी करेगा।

5.6.5 सभी खातों के संबंध में धन की कमी के कारण लौटाए गए ईसीएस आदेश "अपर्याप्त निधि" के रूप में लौटाए जाने के कारण के साथ लौटाए जाएंगे

5.6.6 वर्तमान में कई केन्द्रों पर ईसीएस का काम आरबीआई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जो एनएसीएच प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा। निर्धारित प्रारूप में नया अधिदेश 31/03/2015 से एनपीसीआई के साथ पंजीकृत होना है। प्रारूप शाखा के पास उपलब्ध है।

नोट: यदि खाते में चेक बुक सुविधा है और एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश भी पंजीकृत है, तो चेक के अस्वीकृत और एनएसीएच/ईसीएस के विफल होने दोनों के लिए अस्वीकृत की घटना को ध्यान में रखा जाएगा, खाते में चेक/एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश के बाद में अस्वीकृत होने की स्थिति में शाखा ग्राहक को 30 दिनों का नोटिस देने के बाद खाता बंद करने पर विचार कर सकती है।

5.7 <u>चेक वापसी शुल्क लगाना</u>

5.7.1 चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा, जहां ग्राहक की गलती है और वह ऐसे रिटर्न के लिए जिम्मेदार है। जहां ग्राहक की गलती नहीं है, वहां आपत्तियों की सूची नीचे दी गई है।

5.7.2 जिन चेकों को भुगतानकर्ता की सहायता के बिना पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल अगली प्रस्तुति समाशोधन प्रक्रिया में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) से अधिक समय बाद नहीं बनाया जाएगा, साथ ही एसएमएस अलर्ट, मेल आदि के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे पुनः प्रस्तुतीकरण की उचित सूचना दी जाएगी।

5.7.3 आपत्तियों की सूची जहां ग्राहक दोषी नहीं हैं (जैसा कि बैंकर्स समाशोधन गृह के लिए समान विनियमन और नियमों के अनुलग्नक डी में विस्तृत है)

कोड संख्या	चेक वापसी के कारण
33	लिखत क्षतिग्रस्त है; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है
35	समाशोधन गृह मुहर/तारीख की आवश्यकता है
36	गलत तरीके से सुपुर्द किया गया/चेक हम पर नहीं काटा गया
37	उचित क्षेत्र में मौजूद
38	लिखत में बाह्य विषय शामिल हैं
39	चित्र स्पष्ट नहीं है; कागजात के साथ पुनः प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	मद दो बार सूचीबद्ध
42	कागजात प्राप्त नहीं हुए
60	दो बैंकों से रेखित
61	रेखन मुहर रद्द
62	समाशोधन मुहर रद्द नहीं किया गया
63	विशेष रूप से दूसरे बैंक में रेखित लिखत
67	आदाता का अनुमोदन अनियमित है/संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि की आवश्यकता है
68	चिह्न/अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर सहित सत्यापन आवश्यक है
69	सूचना प्राप्त नहीं हुई
70	सूचना में राशि/नाम अलग-अलग है
71	प्रायोजक बैंक के पास अदाकर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त (उप-सदस्यों पर लागू)
72	आदाता का बैंक को अलग से उन्मोचन आवश्यक है
74	भुगतान आदेश के लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता है
75	आवश्यक जानकारी पठनीय/सही नहीं है
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/अनिवार्य
81	जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट खो जाने पर: जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है
82	बैंक/शाखा अवरुद्ध
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफलता
84	अन्य कारण-कनेक्टिविटी विफलता
87	'भुगतानकर्ता के खाते में जमा'- मुहर आवश्यक
92	बैंक बहिष्कृत

***यह सूची उदाहरणात्मक है, परंतु संपूर्ण नहीं है।**

5.8 बिना भुगतान के वापस किए गए चेक पर ब्याज लगाना, जहां पहले से ही तत्काल क्रेडिट उपलब्ध था

5.8.1 यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक, जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, बिना भुगतान के वापस आ जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर दिया जाएगा।

5.8.2 बाहरी चेक की तारीख से लेकर उसकी वापसी तक की अवधि के लिए ग्राहक से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जब तक कि बैंक के पास राशि की निकासी के लिए धन उपलब्ध न हो। यदि प्रारंभ में क्रेडिट नहीं दिया गया होता तो ब्याज, जहां लागू होता, खाते में अनुमानित अति आहरित शेष राशि पर लगाया जाता।

5.8.3 यदि चेक की राशि बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई थी और उसे निकाला नहीं गया, तो जमा की गई राशि, चेक के बिना भुगतान के वापस आने पर ब्याज के भुगतान के लिए योग्य नहीं होगी।

5.8.4 यदि प्राप्त राशि को ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया गया हो, तो जमा की तारीख से प्रविष्टि के व्युत्क्रम होने की तारीख तक ओवरड्राफ्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा, यदि चेक/लिखत बैंक के पास धन के अभाव की सीमा तक अवैतनिक वापस कर दिया गया हो।

5.9 गैर-सीटीएस-2010 मानक उपकरणों के समाशोधन की व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई ने अपने पत्र DPSS.CO.CHD.No.133/04.07.05/2013-2014 दिनांक 16.07.2013 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंकों ने सीटीएस-2010 प्रारूप में नए चेक जारी करना शुरू कर दिया है, फिर भी बड़ी संख्या में गैर-सीटीएस-2010 प्रारूप चेक छवि-आधारित समाशोधन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तदनुसार, शेष गैर-सीटीएस-2010 मानक चेकों के समाशोधन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5.9.1 1 जनवरी, 2014 से ऐसे अवशिष्ट गैर-सीटीएस-2010 लिखतों (पीडीसी और ईएमआई चेक सहित) के समाशोधन के लिए तीन सीटीएस केंद्रों (मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली) में अलग समाशोधन सत्र शुरू किए जाएंगे। यह अलग समाशोधन सत्र शुरू में 30 अप्रैल, 2014 तक सप्ताह में तीन बार (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) संचालित होगा। इसके बाद, ऐसे अलग-अलग सत्रों की आवृत्ति 31 अक्टूबर, 2014 तक सप्ताह में दो बार (सोमवार और शुक्रवार) और 1 नवंबर, 2014 से आगे साप्ताहिक एक बार (प्रत्येक सोमवार) तक कम हो जाएगी। यदि गैर-सीटीएस-2010 लिखतों के समाशोधन के लिए पहचाने गए दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत छुट्टी का दिन पड़ता है, तो ऐसे अवसरों पर प्रस्तुति सत्र पिछले कार्य दिवस पर आयोजित किया जाएगा।

5.9.2 गैर-सीटीएस-2010 मानक लिखतों के लिए विशेष सत्र के आरंभ होने पर, आहर्ता बैंक नियमित सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत किए गए गैर-सीटीएस-2010 लिखतों, यदि कोई हो, को कारण कोड '37-उचित क्षेत्र में प्रस्तुत करें' के अंतर्गत वापस कर देंगे। ऐसे लौटाए गए लिखतों को गैर-सीटीएस-2010 लिखतों के लिए तत्काल अगले विशेष समाशोधन सत्र में संग्रहकर्ता बैंक द्वारा पुनः प्रस्तुत करना होगा।

5.9.3 शाखाएं एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) केंद्रों और एमआईसीआर सीपीसी में ऐसे गैर-सीटीएस-2010 लिखतों को तब तक प्रस्तुत करना जारी रखेंगी जब तक कि सीपीसी परिचालन में हैं।

5.9.4 संक्रमण काल के दौरान, मौजूदा समाशोधन व्यवस्था जारी रहेगी और सभी चेक जारी करने वाले बैंक प्रचलन में मौजूद गैर-सीटीएस-2010 मानक चेकों को वापस लेने का प्रयास करेंगे, साप्ताहिक एक दिन (प्रत्येक सोमवार) अलग समाशोधन सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके बाद आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इसे बंद कर दिया जाएगा।

6. सेवा शुल्क

6.1 सेवा शुल्क की अनुसूची

क्रसं	चेक/डीडी का संग्रहण	संग्रहण शुल्क
1	एक ही एसएसबी और एट पार इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत तैयार किए गए चेक/डीडी की स्थानीय निकासी	निःशुल्क
2	बाहरी चेक/डीडी विभिन्न एसएसबी पर और एसएसबी केंद्र के बाहर जारी किए गए चेक।	जमा पर सेवा शुल्क के अनुसार विवरण
3	संग्रह के लिए चेक - बिना भुगतान के लौटाए गए (बाहरी) • स्थानीय चेक • बाहरी चेक	जमा पर सेवा शुल्क के अनुसार विवरण

6.2 <u>रियायतें/छूट/निःशुल्क संग्रहण सुविधा</u>

- भूतपूर्व सैनिकों को उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- वाणिज्य मंत्रालय/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/वस्त्र मंत्रालय से जुड़े सरकारी विभाग और राज्य सरकार विभाग/रेलवे/रक्षा आदि।
- धार्मिक, कल्याण, सेवा और धर्मार्थ संस्थान, यदि उन्हें आयकर के भुगतान से छूट दी गई है
- चेकों का सममूल्य संग्रह (केवल सरकार द्वारा जारी किए गए चेक जो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करते हैं)।
- सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन बिलों का सममूल्य संग्रह
- नेत्रहीन, शारीरिक रूप से दिव्यांग, दिव्यांग व्यक्ति और उनके लाभ के लिए स्थापित संस्थान
- डीआरडीए द्वारा जमा किए गए चेक, हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित किसान सहकारी समितियां, हमारे बैंक के साथ बैंकिंग करने वाली प्राथमिक कृषि समितियां
- प्रधानमंत्री राहत कोष/मुख्यमंत्री राहत कोष/राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए निःशुल्क संग्रह
- 5 लाख रुपये तक की राशि के लिए लाभांश वारंट, ब्याज वारंट और वापसी आदेश रु. 500/-
- हमारे बैंक के उपहार चेक सममूल्य पर एकत्र किए जाएंगे
- केंद्र/राज्य सरकारों और सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के पेंशन चेक का संग्रह
- स्वतंत्रता सेनानियों के चेक का संग्रह

6.3 <u>हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायतें</u>

- पीएसबी पर आहरित और आरआरबी द्वारा संग्रहित थर्ड पार्टी चेक/लिखत
- पीएसबी द्वारा प्रस्तुत और आरआरबी द्वारा संग्रहित थर्ड पार्टी चेक

6.4 <u>कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को रियायत</u>

- चेक/लिखतों का संग्रहण: निःशुल्क

<u>अप्रत्याशित घटना</u>

यदि बैंक के नियंत्रण से परे कोई अप्रत्याशित घटना (जिसमें जनता द्वारा उपद्रव, तोड़फोड़, तालाबंदी/हड़ताल/अन्य श्रमिक उपद्रव शामिल हैं, जिनकी सूचना ग्राहकों को मीडिया के माध्यम से पहले ही दे दी गई है, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य "ईश्वरीय आपदा", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके संवाददाता बैंक(ओं) को नुकसान, परिवहन के सभी प्रकार के सामान्य साधनों की अनुपस्थिति आदि) बैंक को

निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्व को पूरा करने से रोकती है, तो बैंक विलंबित ऋण के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

<u>ग्राहक शिकायत निवारण</u>

बैंक की वेबसाइट पर एक संरचित ग्राहक शिकायत निवारण नीति प्रदर्शित की गई है। किसी भी ग्राहक को बैंक के खिलाफ उपर्युक्त किसी भी आधार पर शिकायत है या चेक के भुगतान या संग्रह में भुगतान न होने या अत्यधिक देरी के कारण शिकायत है, तो हमारी ग्राहक शिकायत निवारण नीति के अनुसार उसका निवारण किया जाएगा।

हम पुष्टि करते हैं कि आरबीआई/भारत सरकार द्वारा जारी सभी संबंधित वैधानिक दिशानिर्देश/परिपत्र नीति में शामिल कर लिए गए हैं।